2015 का विधेयक संख्यांक 18

[दि माइन्स एंड मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट बिल,
2015 का हिन्दी अनुवाद]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 है।

(2) यह 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 3 का संशोधन।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 में,— 1957 का 67

(i) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) ''अधिसूचित खनिज'' से चौथी अनुसूची में विर्निदिष्ट खनिज अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(छक) ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' से पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पश्चात् खनन संक्रियाओं के उपक्रम के प्रयोजन के लिए अनुदत्त दो स्तरीय रियायत अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (जख) में अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (जख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(जग) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 30ख की उपधारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सत्र न्यायालय अभिप्रेत है; और'।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, ''कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (45) और कोई ऐसा निकाय जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे। 1956 का 1 2013 का 18

धारा 4क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) में परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु राज्य सरकार, पट्टे के ऐसे धारक द्वारा इस उपधारा के अधीन पट्टे के व्यपगत होने से पहले किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि पट्टे के धारक के लिए, ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, ऐसी खनन संक्रियाओं का करना या ऐसी संक्रियाओं का जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर, इस आशय का आदेश कर सकेगी कि ऐसा पट्टा व्यपगत नहीं होगा:

परंतु यह और कि ऐसा पट्टा खनन संक्रियाएं करने या उन्हें राज्य सरकार के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के समाप्त होने से पूर्व जारी रखने में असफल होने पर व्यपगत हो जाएगा:

परंतु यह और कि राज्य सरकार पट्टे के धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे प्रारंभ न किया जाना या बंद किया जाना ऐसे कारणों से हुआ है, जिन पर पट्टे के धारक का नियंत्रण नहीं था, पट्टे को ऐसे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से पूर्वतर न हो, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पुन: प्रवर्तित कर सकेगी:

परंतु यह और भी कि तीसरे परंतुक के अधीन किसी पट्टे को पट्टे की संपूर्ण कालावधि के दौरान दो बार से अधिक पुन: प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (20)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे: 1956 का 1 2013 का 18

(ii) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विर्निदिष्ट किसी खनिज की बाबत कोई भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।''।

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के लिए ऐसे पैरामीटरों के अनुसार जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं जिनके लिए आवेदन किया गया है, में खनिज अंतर्वस्तु विद्यमान है;'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु राज्य सरकार द्वारा खनन योजना को तैयार करने, प्रमाणन और मानीटरी के लिए स्थापित प्रणाली के अनुसार खनन योजना फाइल करने पर, ऐसी योजना को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खनन पट्टा प्रदान किया जा सकेगा।''।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में या उद्योग के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे पूर्वेक्षण खनिज या खनन पट्टे की बाबत पूर्वोक्त क्षेत्र सीमाओं को जहां तक कि वे किसी विशिष्ट खनिज से संबंधित हैं या ऐसे खनिजों के विशिष्ट वर्ग से संबंधित हैं या किसी विशिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी विशिष्ट खनिज से संबंधित हैं, बढ़ा सकेगी।''।

धारा 8 के स्थान पर नई धारा।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''8. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क में विर्निदिष्ट खनिजों को लागू होंगे।

वह कालावधि जिसके लिए खनन पट्टे अनुदत्त या नवीकृत किया जा सकेगा।

(2) वह अधिकतम कालावधि जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परंतु वह निम्नतम कालावधि जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, बीस वर्ष से कम नहीं होगी।

(3) किसी खनन पट्टे को बीस वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नवीकृत किया जा सकेगा।''।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''8क. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न को लागू होंगे।

कोयला, लिग्नाइट और आणविक खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने की कालावधि।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से ही सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त किए जाएंगे।

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व अनुदत्त सभी खनन पट्टे पचास वर्ष की कालावधि के लिए अनुदत्त किए गए समझे जाएंगे।

(4) पट्टा कालावधि के अवसान पर पट्टे को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां खनिज का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पट्टा अनुदत्त किए जाने की कालावधि का विस्तार किया जाएगा और इसे अंतिम नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से या नवीकरण की कालावधि के पूरा होने तक, यदि कोई है, 31 मार्च, 2030 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए

विस्तारित किया गया समझा जाएगा या ऐसा पट्टा अनुदत्त किए जाने की तारीख इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, से पचास वर्ष की कालावधि के लिए विस्तारित की गई समझी जाएगी।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां खनिज का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पट्टा अनुदत्त किए जाने की कालावधि का विस्तार किया जाएगा और इसे अंतिम नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से या नवीकरण की कालावधि के पूरा होने तक, यदि कोई है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए विस्तारित किया गया समझा जाएगा या ऐसा पट्टा अनुदत्त किए जाने की तारीख इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, से पचास वर्ष की कालावधि के लिए विस्तारित की गई समझी जाएगी।

(7) अनुदत्त किए गए पट्टे के किसी धारक को, जहां खनिज का उपयोग किसी कैप्टिव प्रयोजन के लिए किया गया है, पट्टा कालावधि के अवसान पर ऐसे पट्टे के लिए की जाने वाली नीलामी के समय, पहले इंकार का अधिकार होगा।

(8) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खनन पट्टों की कालावधि, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों या निगमों के विद्यमान खनन पट्टे शामिल हैं, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(9) इस धारा के उपबंध, उनमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व अनुदत्त खनन पट्टे, जिसके नवीकृत करने को अस्वीकृत किया गया है, या जिसका अवधारण किया गया है या जो व्यपगत हो गया है, को लागू नहीं होंगे।''।

नई धारा 9ख और धारा 9ग का अंत:स्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 9क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

जिला खनिज प्रतिष्ठान।

''9ख. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित किसी जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान के नाम से ज्ञात एक अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी।

(2) जिला खनन प्रतिष्ठान का उद्देश्य खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और फायदे के लिए ऐसी रीति में कार्य करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन और कृत्य वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक उस जिले जिसमें खनन संक्रियाएं की जा रही हैं, के जिला खनिज प्रतिष्ठान को राजस्व का संदाय करने के अतिरिक्त द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त राजस्व के ऐसे प्रतिशत के समान एक रकम का संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित ऐसे राजस्व से एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास।

9ग. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के नाम से ज्ञात एक अलाभकर निकाय के रूप में एक न्यास की स्थापना करेगी।

(2) न्यास का उद्देश्य, प्रादेशिक और विस्तृत खोज के प्रयोजनों के लिए न्यास को प्रोद्भूत निधियों को उपयोग ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) न्यास का गठन और कृत्य वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण कालावधि-सह-खनन पट्टे का धारक, न्यास को द्वितीय अनुसूची के निबंधनों में संदत्त स्वामित्व के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि का संदाय ऐसी रीति में करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए,।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 10क, धारा 10ख और धारा 10ग का अंत:स्थापन।

''10क. (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्राप्त सभी आवेदन अमान्य हो जाएंगे। विद्यमान रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख से ही मान्य होंगे:—

(क) इस अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त आवेदन;

(ख) जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी भूमि की बाबत किसी खनिज के संबंध में कोई भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, वहां अनुज्ञा पत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या उस भूमि में उस खनिज की बाबत खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारक ने,—

(i) उस भूमि में खनिज अंतर्वस्तु विद्यमान होने को साबित करने के लिए ऐसे पैरामीटरों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं करता है;

(ii) भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को भंग नहीं किया है;

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अमान्य नहीं हो गया है; और

(iv) यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के पश्चात् तीन मास की कालावधि के भीतर या ऐसी छह मास से अनधिक और कालावधि जो राज्य सरकार द्वारा विस्तारित की जाए के भीतर, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने के लिए असफल नहीं रहा है;

(ग) जहां केन्द्रीय सरकार ने खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित पूर्व अनुमोदन से संसूचित कर दिया है या राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पूर्व, आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), जारी कर दिया गया है, खनन पट्टा पूर्व अनुमोदन या आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर अनुदत्त किया जाएगा:

परंतु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन सिवाय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

10ख. (1) इस धारा के उपबंध धारा 10क या धारा 17क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं है, लागू नहीं होंगे। नीलामी के माध्यम से अधिसूचित खनिजों की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करना।

(2) जहां किसी क्षेत्र की बाबत अधिसूचित खनिज की खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता को दर्शित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य हैं, तो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, उक्त अधिसूचित खनिजों के लिए ऐसे क्षेत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त कर सकेगी।

(3) उन क्षेत्रों जहां किसी अधिसूचित खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में स्थापित की गई है, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को ऐसे अधिसूचित खनिज के खनन के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा और अन्य सुसंगत शर्तें और ऐसी रीति केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित होगी।

(4) राज्य सरकार, ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की विधि से, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किसी आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विर्निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(5) केन्द्रीय सरकार उन निबंधनों और शर्तों तथा प्रक्रिया को विहित करेगी, जिनके अधीन रहते हुए जिसके अंतर्गत चयन के लिए बोली के पैरामीटर भी हैं, नीलामी का संचालन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत खनिज के उत्पादन में हिस्सा या संदेय राजस्व से संबंधित कोई संदाय या कोई अन्य सुसंगत पैरामीटर या उनका कोई संयोजन या उपांतरण भी शामिल हो सकेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार उपधारा (5) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, खनिजों, किसी राज्य या राज्यों में खनिज निक्षेप के आकार और क्षेत्र की श्रेणियों की बाबत, निबंधन और शर्तें, प्रक्रिया और बोली पैरामीटर जिनके अधीन बोली का संचालन किया जाएगा, विहित कर सकेगी:

परंतु निबंधनों और शर्तों में किसी विशिष्ट खान या खानों का विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए आरक्षण और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे पात्र अंतिम उपयोगकर्ताओं को बोली में भाग लेने के लिए अनुज्ञात करे, को शामिल किया जा सकेगा।

(7) राज्य सरकार किसी अधिसूचित क्षेत्र में, ऐसे अधिसूचित खनिज की बाबत इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित किसी आवेदक को खनन पट्टा अनुदत्त करेगी।

गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्रों का अनुदत्त किया जाना।

10ग. (1) प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न किसी अधिसूचित खनिज या गैर अधिसूचित खनिज या विनिर्दिष्ट खनिजों के समूह के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र अनुदत्त किए जा सकेंगे।

(2) ऐसे गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र धारक किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे या किसी खनन पट्टे को अनुदत्त किए जाने के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।''।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अधिसूचित खनिजों से भिन्न खनिजों की बाबत नीलामी के माध्यम से पूर्वेक्षण अनुक्षप्ति-सह-खनन पट्टे का अनुदत्त किया जाना।

''11. (1) इस धारा के उपबंध धारा 10क या धारा 17क के अंतर्गत आने वाले मामलों को या प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को या उस भूमि की बाबत जिसके खनिज सरकार में निहित नहीं है, लागू नहीं होंगे।

(2) उन क्षेत्रों में जहां धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा यथा अपेक्षित खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता को दर्शित करने का साक्ष्य है, राज्य सरकार धारा 10ख में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अधिसूचित खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए खनन पट्टा अनुदत्त करेगी।

(3) उन क्षेत्रों में जहां धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा यथा अपेक्षित खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता को दर्शित करने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य है, राज्य सरकार इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में अधिसूचित खनिजों से भिन्न खजिनों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त करेगी।

(4) राज्य सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगी जिनमें अधिसूचित खनिजों से भिन्न किन्हीं खनिजों के लिए उन निबंधनों और शर्तों और कोई अन्य सुसंगत शर्तें तथा रीति जिनके अधीन रहते हुए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा प्रदान किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी।

(5) राज्य सरकार ऐसे अधिसूचित क्षेत्र में किसी अधिसूचित खनिज की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की विधि से जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, किसी आवेदक का चयन करेगी जो इस अधिनियम में यथा विर्निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करता है।

(6) केन्द्रीय सरकार उन निबंधनों और शर्तों तथा प्रक्रिया को विहित करेगी जिनके अधीन रहते हुए नीलामी का जिसके अंतर्गत चयन के लिए बोली के पैरामीटर भी हैं, संचालन किया जाएगा, जिसके

अंतर्गत खनिज के उत्पादन में हिस्सा या संदेय राजस्व से संबंधित कोई संदाय या कोई अन्य सुसंगत पैरामीटर या उनका कोई संयोजन या उपांतरण भी शामिल हो सकेगा।

(7) केन्द्रीय सरकार उपधारा (6) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि उसकी राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, खनिजों, किसी राज्य या राज्यों में खनिज निक्षेप के आकार और क्षेत्र की श्रेणियों की बाबत, निबंधन और शर्तें, प्रक्रिया और बोली पैरामीटर जिनके अधीन बोली का संचालन किया जाएगा, विहित कर सकेगी।

(8) राज्य सरकार किसी अधिसूचित क्षेत्र में, ऐसे अधिसूचित खनिज की बाबत इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित किसी आवेदक को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त करेगी।

(9) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक से धारा 7 में अधिकथित अवधि के दौरान आवेदन आमंत्रित करने की सूचना में यथा विनिर्दिष्ट पूर्वेक्षण संक्रियाओं को समाधानप्रद रूप से पूरा करना अपेक्षित होगा।

(10) कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा धारक जो उपधारा (9) में यथा अधिकथित पूर्वेक्षण संक्रियाओं को पूरा करता है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित पैरामीटरों के अनुसार क्षेत्र में खनन अंतर्वस्तु की विद्यमानता को स्थापित करता है, से ऐसे क्षेत्र के लिए खनन पट्टे के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा और उसे खनन पट्टा प्राप्त करने और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खनन संक्रियाएं करने का अधिकार होगा।''।

12. मूल अधिनियम की धारा 11क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 11ख और धारा 11ग का अंत:स्थापन।

''11ख. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग ख में विर्निदिष्ट खनिजों की बाबत, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतों को अनुदत्त करने का विनियमन करने के लिए और उनसे संबद्ध प्रयोजनों के लिए विनियम बना सकेगी तथा राज्य सरकार इन नियमों के अनुसार ऐसे किसी खनिज की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञा पत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करेगी। केन्द्रीय सरकार की प्रथम अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट आणविक खनिजों के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति।

11ग. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी जिससे उसमें ऐसे किसी खनिज को जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जोड़ा या हटाया जा सके।''। केन्द्रीय सरकार की प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

13. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 12क का अंत:स्थापन।

''12क. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को लागू नहीं होंगे। खनिज रियायतों का अंतरण।

(2) किसी खनिज पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का कोई धारक, धारा 10ख या धारा 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, अपने खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-सह-खनन पट्टे को ऐसी रीति में जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन-पट्टे को धारण करने के लिए पात्र व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा।

(3) यदि राज्य सरकार, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के अंतरण के लिए ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अपने पूर्वानुमोदन की सूचना नहीं देती है, तो यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य सरकार को ऐसे अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं है:

परन्तु मूल खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का धारक राज्य सरकार को अंतरण के लिए हितबद्ध उत्तरवर्ती द्वारा संदेय प्रतिफल से संसूचित करेगा जिसके अंतर्गत पहले से ही की जा रही पूर्वेक्षण संक्रियाओं की बाबत विचारण और संक्रियाओं के दौरान सृजित रिपोर्टें और डाटा भी हैं।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का कोई अंतरण नहीं होगा यदि राज्य सरकार सूचना अवधि में और संसूचित किए जाने वाले लिखित कारणों से अंतरण को इस आधार पर अननुमोदित कर देती है कि अंतरिती इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पात्र नहीं है:

परन्तु किसी खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का ऐसा अंतरण किसी शर्त के जिसके अधीन खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त किया गया था के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन किए गए सभी अंतरण इस शर्त के अधीन होंगे कि अंतरिती में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी शर्तों और दायित्वों को स्वीकार कर लिया है जिनके अधीन अंतरक, यथास्थिति, ऐसे खनन पट्टे या अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे की बाबत था।

(6) खनन रियायतों का अंतरण केवल उन रियायतों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो नीलामी के माध्यम से अनुदत्त की गई हैं।''।

धारा 13 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ञञ) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खनिज अंतर्वस्तु की विद्यमानता: के पैरामीटर;'';

(ii) खंड (थथ) में अंत में आने वाले, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (थथ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(थथक) धारा 9ख की उपधारा (4) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान को किए जाने वाले संदाय की रकम;

(थथख) धारा 9ग की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को उद्भूत निधियों के उपयोजन की रीति;

(थथग) धारा 9ग की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना और कृत्य;

(थथघ) धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को रकम के संदाय की रीति;

(थथड.) वे निबंधन और शर्तें जिनके अध्यधीन धारा 10ख की उपधारा (3) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त किया जाएगा;

(थथच) वे निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया जिनके अध्यधीन नीलामी का संचालन किया जाएगा जिसके अंतर्गत धारा 10ख की उपधारा (5) के अधीन बोली पैरामीटर भी हैं;

(थथछ) धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क, धारा 11ख और धारा 17क के अधीन खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे को अनुदत्त करने के लिए आवेदनों और उनके नवीकरण के कार्यवाही के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सीमा;

(थथज) धारा 10ग की उपधारा (1) के अधीन गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्रों को अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(थथझ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(थथञ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन चयन के लिए निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बोली लगाने के पैरामीटर भी हैं;

(थथट) धारा 17 की उपधारा (2ग) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए सरकारी कंपनी या निगम या किसी संयुक्त उद्यम द्वारा संदेय रकम; और''।

धारा 15 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) राज्य सरकार, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:—

(क) धारा 9ख की उपधारा (2) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान के कार्य करने की रीति;

(ख) धारा 9ख की उपधारा (3) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान की संरचना और कृत्य; और

(ग) धारा 15क के अधीन गौण खनिज धारकों द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान को किए जाने वाले संदाय की रकम।''।

नई धारा 15क का अंत:स्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

राज्य सरकार की गौण खनिजों की दशा में जिला खनिज प्रतिष्ठान के लिए निधियां एकत्रित करने की शक्ति।

''15क. राज्य सरकार, गौण खनिजों से संबंधित रियायत धारकों द्वारा उस जिले के जिसमें खनन संक्रियाएं की जा रही हैं जिला खनिज प्रतिष्ठान को संदाय की जाने वाली रकमों को विहित कर सकेगी।''।

धारा 17क का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी क्षेत्र को पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं करने के लिए आरक्षित करती है, वहां राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की बाबत ऐसी सरकारी कंपनी या निगम को, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करेगी:

परंतु राज्य सरकार, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुदत्त करेगी।

(2ख) जहां सरकारी कंपनी या निगम पूर्वेक्षण संक्रियाएं या खनन संक्रियाएं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त उद्यम में करने की वांछा रखती हैं, वहां संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और ऐसी सरकारी कंपनी या निगम ऐसे संयुक्त उद्यम में संदत्त शेयर पूंजी का चौहत्तर प्रतिशत से अधिक का धारण करेगी।

(2ग) उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी या निगम या संयुक्त उद्यम को अनुदत्त खनन पट्टा ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के संदाय पर अनुदत्त किया जाएगा।''।

नई धारा 20क का अंत:स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

''20क. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकारों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए या राष्ट्रीय हित में किसी नीति के विषय पर और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और भरणीय विकास तथा अन्वेषण के लिए अपेक्षित हों।

(2) केन्द्रीय सरकार, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित विषयों की बाबत भी निदेश जारी कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) खनिज रियायतें अनुदत्त करने की प्रक्रिया में सुधार और कानूनी निकासियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपे गए अभिकरणों के बीच समन्वय का सुनिश्चय;

(ii) इंटरनेट आधारित डाटा बेस का अनुरक्षण जिसके अंतर्गत खनन भूखंड प्रणाली का विकास और प्रचालन का अनुरक्षण भी है;

(iii) पोषणीय विकास ढांचे का कार्यान्वयन और मूल्यांकन;

(iv) अपशिष्ट सृजन में कटौती और संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां तथा सामग्रियों के पुन: चक्रीकरण का संवर्धन;

(v) प्रतिकूल पर्यावरणीय संघातों का न्यूनीकरण और उनका अवशमन विशिष्टतया भू-जल, वायु, परिवेष्टित सौर और भूमि;

(vi) जैव विविधता वनस्पति, प्राणी और पर्यवास के निबंधनों में न्यूनतम पारिस्थितिकीय विक्षोभ का सुनिश्चय करना;

(vii) प्रत्यावर्तन भूमि उद्धार कार्यकलापों का संवर्धन जिससे खनन की गई भूमि का स्थानीय समुदायों के फायदे के लिए अनुकूलतम उपयोग किया जा सके; और

(viii) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।''।

धारा 21 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन बनाया गया कोई नियम उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और उल्लंघन के लगातार जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे उल्लंघन के लिए प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।''।

धारा 30 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति।

''30. केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या विहित समय के अंदर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर,—

(क) राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकाला जाता है; या

(ख) जहां राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा उसे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत उसके लिए विहित समय के अंदर ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाता है, ऐसा कोई आदेश पारित कर सकेगी जो वह परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे:

परंतु केन्द्रीय सरकार, खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों की दशा में इस खंड के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व मामले में सुने जाने का अवसर या मामले को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।''।

21. मूल अधिनियम की धारा 30क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 30ख और 30ग का अंत:स्थापन।

''30ख. (1) राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के उल्लंघन के अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों। विशेष न्यायालयों का गठन।

(2) विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधीश होगा।

(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह जिला और सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो।

(4) विशेष न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।''।

1974 का 2

30ग. सिवाय इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और उसे सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा। विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय की शक्तियों का होना।

22. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, ''8(2)'' अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, 8(1), 8क(1), 10क, 10ख(1), 10ग(1), 11(1), 11ख, 11ग, 12क(1) और 17क(2क)'' अंक, कोष्ठक, और अक्षर रखे जाएंगे। प्रथम अनुसूची का संशोधन।

23. मूल अधिनियम में तृतीय अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई अनुसूची का अंत:स्थापन।

''चतुर्थ अनुसूची''

[धारा 3 का खंड (ङक) देखिए]

अधिसूचित खनिज

1. बॉक्साइट

2. लौह अयस्क

3. चूना पत्थर

4. मैंग्नीज अयस्क।''।

24. (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, कर सकेगी: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

25. (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 का निरसन किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल अधिनियम के अधीन की या की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खान और खनिज अधिनियम) एक केंद्रीय अधिनियम है, जो केंद्रीय सरकार में निहित शक्तियों के निबंधनों के अनुसार खान और खनिजों के विकास और विनियमन का प्रशासन करता है। खान और खनिज अधिनियम के उपबंधों का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। राज्य सरकारों को खानों और खनिजों को खान और खनिज अधिनियम के निबंधनों के अनुसार विनियमित करना होता है। इस अधिनियम को पिछले कई वर्षों के दौरान मुख्यत: 1972, 1986, 1994 और 1999 में संशोधित किया गया है।

2. खनिज क्षेत्र को प्रशासित करने वाली विधि का समग्र रूप से संशोधन करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 (खान और खनिज विधेयक, 2011) लोक सभा में तारीख 12.12.2011 को पुर:स्थापित किया गया था । विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप देने के पूर्व गहन विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् इसकी कोयला और इस्पात से संबद्ध स्थायी समिति द्वारा और गहन संवीक्षा की गई जिसने मई, 2013 में अपनी रिपोर्ट दी। तथापि, पन्द्रहवीं लोक सभा के विघटन के पूर्व विधेयक पारित नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप व्यपगत हो गया।

3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र में अनेक मुकदमेबाजियां हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन के मुद्दों पर निर्णयों के अतिरिक्त, खनन क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो खनिज रियायतों को प्रदान करने से प्रत्यक्षत: सुसंगत हैं।

4. खान और खनिज अधिनियम का विद्यमान विधिक ढांचा खनिज रियायतों की नीलामी को अनुज्ञात नहीं करता है। खनिज रियायतों की नीलामी से आबंटन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार को भी खनिज संसाधनों के मूल्य का बढ़ा हुआ भाग प्राप्त होगा। खनिज रियायतों के नवीकरण से संबंधित विधि के कुछ उपबंध त्वरित निर्णय लेने में समर्थ बनने के रास्ते में बाधा हैं। परिणामस्वरूप, नई रियायत प्रदान करने और विद्यमान रियायतों के नवीकरण की गति धीमी हुई है। परिणामस्वरूप खनन क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई है जिससे विनिमार्ण क्षेत्र प्रभावित हुआ है जो अधिकाशत: खनन क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई कच्ची सामग्रियों पर निर्भर करता है। इसलिए सरकार ने खनन क्षेत्र की तुरंत आवश्यकताओं और आधारिक ढांचागत त्रुटियों को भी दूर करना, जो विद्यमान गतिरोध का आधार है, ध्यान देना आवश्यक समझा है।

5. इन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता को देखते हुए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 तारीख 12 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक इस अध्यादेश के स्थान पर है। यह विधेयक निम्नलिखित के लिए तंत्र की स्थापना करने के लिए डिजाइन किया गया है:—

(i) विवेकाधिकार का उन्मूलन;

(ii) खनिज संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता बढ़ाना;

(iii) प्रक्रियाओं का सरलीकरण;

(iv) प्रशासन में विलंब का उन्मूलन, जिससे देश में खनिज संसाधनों के शीघ्र और अधिकतम विकास को समर्थ बनाया जा सके;

(v) देश में सरकार के लिए खनिज संसाधनों के मूल्य का बढ़ा हुआ भाग अभिप्राप्त करना; और

(vi) निजी विनिधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करना।

6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) विवेकाधिकार को उन्मुलन; नीलामी की आबंटन की एकमात्र पद्धति होना संशोधन खनिज रियायत प्रदान करने के लिए नीलामी तंत्र लाकर अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए है। खनिज पट्टों की अवधि को विद्यमान तीस वर्ष से बढ़ाकर पचास वर्ष कर दिया गया है। पट्टों के नवीकरण का कोई उपबंध नहीं है।

(ii) खनन सेक्टर को प्रोत्साहन: खनन उद्योग दूसरे और पश्चात्वर्ती नवीकरणों के लंबित रहने के कारण व्यथित हुआ है। वास्तव में इसके कारण अनेक खाने बंद हुई हैं। विधेयक में इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है। विधेयक में यह उपबंध है कि खनन पट्टों को उनके अंतिम नवीकरण की तारीख से 31 मार्च, 2030 (कैप्टिव खानों की दशा में) और 31 मार्च, 2020 (वणिक खानकारों के लिए या पहले से ही प्रदत्त नवीकरण के पूरा होने तक, यदि कोई हों, या ऐसा पट्टा अनुदत्त करने की तारीख से 50 वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, तब विस्तारित मानी जाएगी)।

(iii) प्रभावित व्यक्तियों के हितों के सुरक्षोपाय: खनन संबंधित कार्यकलापों से प्रभावित जिलों में जिला खनन स्थापन की स्थापना का उपबंध है।

(iv) खोज और विनिधान को बढ़ावा: विधेयक खनन पट्टा धारकों के अंशदान में से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास गठित करने का प्रस्ताव करता है ताकि देश में खोज को बढ़ावा देने के लिए समर्पित निधि हो। नीलामी के माध्यम से अनुदत्त खनिज छूटों को प्राइवेट विनिधानकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(v) प्रक्रियाओं का सरलीकरण और विलंब को दूर करना: संशोधन लौह अयस्क, बाक्साइट, मैंगनीज आदि जैसे महत्वपूर्ण खजिनों की दशा में खनिज छूट अनुदत्त करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा को दूर करता है, जिससे प्रक्रिया तीव्रतर और सरल बन जाती है। इसी प्रकार राज्य सरकार खनन योजना फाइल करने के लिए प्रणाली बनाकर केंद्रीय सरकार द्वारा खनन योजनाओं के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को दूर करेंगी। केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा विहित समय के भीतर मुद्दों का विनिश्चय करने में असफल रहने की दशा में पुनरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

(vi) अवैध खनन को रोकने के लिए अधिक कठोर उपबंध अवैध खनन की समस्या पर ध्यान देने के लिए दांडिक उपबंधों को प्रति हैक्टेयर पांच लाख रुपए की उच्चतर शास्ति और पांच वर्ष का कारावास विहित करने और कठोर बनाया गया है। राज्य सरकारें अब अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने में सक्षम होंगी।

नरेन्द्र सिंह तोमर

नई दिल्ली;
31 जनवरी, 2015

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए है, जिससे देश के खनन सेक्टर को उसके पूर्णतम क्षमता तक विकसित किया जा सके और राष्ट्र के खनिज संसाधनों का राष्ट्रीय आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। विधेयक, यदि अधिनियमित किया जाता है, से कोई आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्वल्लित होने की संभावना नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 8, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''अधिनियम'' कहा गया है) में एक नई धारा 8क अंत:स्थापित करने के लिए है और उक्त धारा की उपधारा (8) केन्द्रीय सरकार को खनन पट्टे, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों या निगमों के विद्यमान खनन पट्टे भी हैं, की अवधि विहित करने के लिए सशक्त करती है।

2. विधेयक का खंड 10, अधिनियम में क्रमश: नई धारा 10क, धारा 10ख और धारा 10ग अंत:स्थापित और विधेयक का खंड 11, अधिनियम की धारा 11 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, तथा धारा 10क की उपधारा 2 के खंड (ख) का उपखंड (i); धरा 10ख की उपधारा (3); और धारा 11 की उपधारा (10) केन्द्रीय सरकार को खनिजों के प्रवर्गों, खनिज भंडारों के आकार और क्षेत्र तथा किसी राज्य या राज्यों की बाबत खनिज अंतर्वस्तु के अस्तित्व के पैरामीटर, निबंधन और शर्तें, प्रक्रिया और बोली पैरापीटरों को विहित करने के लिए सशक्त करती है, जिनके अधीन नीलामी धारा 10ख की उपधारा (6) और धारा 11 की उपधारा (7) के अधीन की जाएगी।

3. विधेयक का खंड 12, अधिनियम में नई धारा 11ख और धारा 11ग अंत:स्थापित करने के लिए है और धारा 11ख, केन्द्रीय सरकार को पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत खनन पट्टे या अन्य खनन रियायतों की मंजूरी को विनियमित करने के लिए और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है; धारा 11ग केन्द्रीय सरकार को प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची को, राजपपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित करने के लिए सशक्त करती है।

4. विधेयक का खंड 13, अधिनियम में नई धारा 12क अंत:स्थापित करने के लिए है और उक्त धारा की उपधारा (2) केन्द्रीय सरकार को धारा 10ख या धारा 11में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनुदत्त खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टे के अंतरण हेतु रीति विहित करने के लिए सशक्त बनाती है।

5. विधेयक का खंड 14, अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके। यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में,-(क) धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन खनिज अंतर्वस्तुओं की विद्यमानता के पैरामीटर; (ख) धारा 9ख की उपधारा (4) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान को किए जाने वाले संदाय की रकम; (ग) धारा 9ग की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को प्रोद्भूत निधियों के उपयोजन की रीति; (घ) धारा 9ग की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की संरचना और उसके कृत्य; (ङ) धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को रकम के संदाय की रीति; (च) वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन धारा 10ख की उपधारा (3) के अधीन खनन पट्टे अनुदत्त किए जाएंगे; (छ) वे निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया, जिनके अधीन धारा 10ग की उपधारा (5) के अधीन चयन के लिए बोली पैरामीटरों सहित नीलामी संचालित की जाएगी; (ज) धारा 10ख, धारा 11, धारा 11क,धारा 11ख और धारा 17क के अधीन खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टे के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदनों और उनके नवीकरण पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न प्रक्रमों के लिए समय-सीमा; (झ) धारा 10ग की उपधारा (1) के अधीन गैर समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञा पत्रों को अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें; (ञ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह खनन पट्टे अनुदत्त करने के लिए निबंधन और शर्तें; (ट) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन चयन के लिए निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत बोली लगाने के पैरामीटर भी हैं; (ठ) धारा 17क की उपधारा (2ग) के अधीन खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए किसी सरकारी कंपनी या निगम या किसी संयुक्त उद्यम द्वारा संदेय रकम, सम्मिलित है।

6. विधेयक का खंड 15, अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है, जिससे राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके। यह खंड उन विषयों को प्रगणित करता है, जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में,-(क) वह रीति, जिसमें

जिला खनिज प्रतिष्ठान धारा 9ख की उपधारा (2) के अधीन कार्य करेगा; (ख) धारा 9ख की उपधारा (3) के अधीन जिला खनिज प्रतिष्ठान की संरचना और कृत्य; (ग) धारा 15क के अधीन गौण खनिजों के रियायत धारकों द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान की किए जाने वाले संदाय की रकम, सम्मिलित हैं।

7. वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे और अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं तथा उनके लिए प्रस्तावित विधान में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिकरण, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

*** *** ***

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) *** *** ***

(जख) ''भूमीक्षण अनुज्ञापत्र'' से भूमीक्षण संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए अनुदत्त अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है; और

*** *** ***

पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बंधन

4. (1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भूमीक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं: पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका किसी क्षेत्र में उपक्रम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त और ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त अनुज्ञाप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो:

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात किन्हीं ऐसी पूर्वेक्षण संक्रियाओं को लागू नहीं होगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय किसी भी राज्य सरकार के खनन और भू-विज्ञान निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ में सरकारी कंपनी है, की जाती है: 1956 का 1

*** *** ***

4 क. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की समाप्ति।

*** *** ***

(4) जहां किसी खनन पट्टे का धारक पट्टे के निष्पादन की तारीख के पश्चात् दो वर्षों की अवधि तक खनन संक्रियाएं करने में असफल रहता है अथवा खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के पश्चात् उसने दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए उन्हें बन्द कर दिया है, वहां पट्टा, यथस्थिति, पट्टे के निष्पादन अथवा खनन संक्रियाओं के बन्द किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा:

परन्तु राज्य सरकार, ऐसे पट्टे के धारक द्वारा, इस उपधारा के अधीन पट्टे के अवसान के पहले किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान होने पर कि पट्टे के धारक के लिए, ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, खनन संक्रियाओं का करना या ऐसी संक्रियाओं का जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं, इस आशय का आदेश कर सकेगी कि ऐसा पट्टा व्यपगत नहीं होगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार पट्टे के धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसे प्रारम्भ न किया जाना या बन्द किया जाना ऐसे कारणों से हुआ है जिन पर पट्टे के धारक का नियंत्रण नहीं था, पट्टे को ऐसी भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से, जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से पूर्वतर न हो, पुन: प्रवर्तित कर सकेगी:

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के अधीन कोई भी पट्टा, पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान, दो से अधिक दौर पुन: प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. (1) कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, तभी अनुदत्त करेगी जब ऐसा व्यक्ति,— पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बन्धन।

(क) भारतीय राष्ट्रिक है या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कोई कंपनी है; और 1956 का 1

(ख) ऐसी शर्तें पूरी करता है जो विहित की जाएं:

परन्तु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक,—

(क) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब फर्म के सभी सदस्य या संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक हैं: और

(ख) किसी व्यष्टि की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब वह भारत का नागरिक है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

''(क) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज पदार्थों का होना ऐसे क्षेत्र के पूर्वेक्षण के माध्यम से अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है; और

(ख) संबंधित क्षेत्र के खनिज भंडार के विकास के लिए खानों के ऐसे प्रवर्ग की बाबत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई खनन योजना है।

वह अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा।

6. (1) कोई व्यक्ति किसी खनिज या सहचारी खनिजों के विहित समूह के बारे में किसी राज्य में,—

(क) *** *** ***

(ख) एक या अधिक खनन पट्टे ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित नहीं करेगा जिसका कुल क्षेत्रफल दस वर्ग किलोमीटर से अधिक है:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी व्यक्ति को एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकती है जिसका कुल क्षेत्रफल पूर्वोक्त क्षेत्रफल से अधिक है;

*** *** ***

वे कालावधियां जिनके लिए खनन पट्टे अनुदत्त या नवीकृत किए जा सकेंगे।

8. (1) वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगी, तीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी:

परन्तु वह न्यूनतम अवधि, जिसके लिए कोई ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, बीस वर्ष से कम की नहीं होगी।

(2) खनन पट्टा ऐसी अवधि के लिए, जो बीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी नवीकृत किया जा सकेगा:

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे ऐसे खनिजों की बाबत जो प्रथम अनुसूची के भाग क और ख में विनिर्दिष्ट नहीं है, खनन पट्टे का ऐसी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों के लिए नवीकरण प्राधिकृत कर सकेगी जो प्रत्येक दशा में बीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज की बाबत अनुदत्त किसी खनन पट्टे का, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के सिवाय, नवीकरण नहीं किया जाएगा।

*** *** ***

कतिपय व्यक्तियों का अधिमानी अधिकार।

11. (1) जहां किसी भूमि के बारे में कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हो वहां उस अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि के बारे में, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिमानी अधिकार होगा:

परन्तु यह तब जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसी भूमि में खनिज साधनों का होना सिद्ध करने के लिए, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं;

(ख) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी ने भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग नहीं किया है;

(ग) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं हुआ है; और

(घ) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् तीन माह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो उक्त सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने में असफल नहीं हुआ है।

(2) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए राजपत्र में क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है और दो या अधिक व्यक्तियों ने ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अथवा खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है वहां, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए उस आवेदक को, जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक की अपेक्षा जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ हो, अधिमानी अधिकार होगा:

परन्तु जहां कोई क्षेत्र, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए उपलब्ध है और राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, वहां ऐसे क्षेत्र के भीतर ऐसी भूमियों की बाबत ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और ऐसे आवेदनों के बारे में, जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्राप्त हुए थे और जिनका निपटारा नहीं किया गया था, यह समझा जाएगा कि वे इस उपधारा के अधीन पूर्विकता समनुदेशित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही दिन प्राप्त हुए हैं:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे आवेदन एक ही दिन प्राप्त हुए हों, वहां राज्य सरकार, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात्,यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा आवेदकों में से ऐसे एक आवेदक को अनुदत्त कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट बातें निम्नलिखित हैं:—

(क) आवेदक का, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाओं, पूर्वेक्षण संक्रियाओं या खनन संक्रियाओं का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव;

(ख) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(ग) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द का स्वरूप और क्वालिटी;

(घ) वह विनिधान जिसे आवेदक खानों में और खनिजों पर आधारित उद्योग में करने का प्रस्ताव करता है;

(ङ) अन्य ऐसी बातें जो विहित की जाएं।

(4) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां राज्य सरकार, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुदत्त किए जाने के लिए कोई क्षेत्र राजपत्र में अधिसूचित करती है, वहां ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जो तीस दिन से कम की नहीं होगी, प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ ऐसे विचार किया जाएगा मानो ऐसे सभी आवेदन एक ही दिन प्राप्त हुए हों और राज्य सरकार उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति, भूमीक्षण, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा आवेदकों में से ऐसे एक आवेदक को अनुदत्त कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(5) राज्य सरकार उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किन्हीं ऐसे विशेष कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे किसी आवेदक को, जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ था, ऐसे आवेदक पर जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान देकर, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त कर सकेगी:

परन्तु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।

*** *** ***

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

13. (1)*** *** ***

(2) विशिष्टत: और पूर्वगाामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

*** *** ***

(थथ) वह रीति जिससे पेड़, पौधों और वनस्पति की, जैसे कि वृक्ष, झाड़ियां और वैसी ही चीजें, जो किन्हीं पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हो गई हों, उसी क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा (पुनर्स्थापन के खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा) चयन किया गया हो, पुनर्स्थापन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

*** *** ***

शास्तियां।

21. (1) जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाया गया कोई नियम इस बात का उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और किसी चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहे, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

*** *** ***

पुनरीक्षण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

30. केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या विहित समय के अंदर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगी जो राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा, गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निकाला जाता है।

*** *** ***

प्रथम अनुसूची

[धारा 4(3), 5(1), 7(2) और 8(2) देखिए]

*** *** ***

GMGIPMRND—4537LS(S3)—18-02-2015.

खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2015 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
3	17 पार्श्वशीर्ष	धारा 8 के स्थान पर नई धारा ।	धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
11	34 पार्श्व	---	2015 का 3
12	17	अधिनियम का	अधिनियम, 1957 का
15	8	धरा 10ख	धारा 10ख
15	15	राजपपत्र	राजपत्र